



डॉ० फतेह बहादुर
सिंह यादव

भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का ऐतिहासिक अध्ययन

एसो0 प्रोफेसर- वी0एड0 चरण सिंह पी0जी0 कालेज, हेओरा-इटावा,
(उ0प्र0), भारत

Received- 09.12. 2021, Revised- 14.12. 2021, Accepted - 19.12.2021 E-mail: fbs.yadav1969@gmail.com

सांक्षेपः प्राचीन समय में भारत की उच्च शिक्षा कि टक्कर लेने वाला विश्व में कोई नहीं था। हमारे ऋषि मुनियों ने विज्ञान, खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, गणित, आदि सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट शोध करते हुए दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तब हमारे पास आज के जैसे संसाधन जरूर नहीं थे लेकिन ज्ञान कि पिपाशा, जिज्ञाशा और इन्हे शान्ति करने कि द्रण इच्छा शक्ति ऐसी थी, कि हम विश्व गुरु थे। आज हमारे पास संसाधन तो हैं, लेकिन ज्ञान के मामले में हम पीछे होते जा रहे हैं। अगर संख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की उच्चतर शिक्षा व्यवस्था अमेरिका एवं चीन के बाद तीसरे नम्बर पर आती है लेकिन जहाँ तक गुणवत्ता की बात है तो दुनिया के शीर्ष 250 विश्वविद्यालयों में भारत का एक भी विश्वविद्यालय नहीं है। द टाइम्स विश्व यूनिवर्सिटीज रैंकिंग (2019) के अनुसार भारत के इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ साइन्स का स्थान भी 250 के बाद है। कभी-कभी तथ्य अपनी कहानी खुद कहते हैं। इसलिए चलिए तथ्यों की ही बात की जाए।

कुंजीभूत शब्द- खगोलशास्त्र, चिकित्सा, दर्शन, उत्कृष्ट शोध, पिपाशा, जिज्ञाशा, संसाधन, गुणवत्ता, प्रत्यापन।

उच्च शिक्षा को समझने के लिए कुछ महत्वपूर्ण 1: स्कूल की पढाई करने वाले नौ छात्रों में एक ही कालेज पंहुच पाता है। भारत में उच्च शिक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले छात्रों का अनुपात दुनिया में सबसे कम यॉनि सिर्फ 11 फीसदी है। अमरीका में यह अनुपात 83 फीसदी है।

2. इस अनुपात को 15 फीसदी तक ले जाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को 226410 करोड़ रुपये का निवेश करना होगा। जबकि 2019 के बजट में उच्च शिक्षा के मात्र 37461 करोड़ रुपये का ही प्रावधान किया गया था।

3. हाल ही में नैस्कॉम और मैकिन्से के शोध के अनुसार, मानविकी में 10 में से 1 और इंजीनियरिंग में डिग्री ले चुके 4 में से एक भारतीय छात्र ही एक ही नौकरी पाने के योग्य है। (संपेक्टिव 2020) भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी तकनीकी एवं वैज्ञानिक मानव शक्ति का जखीरा है। इस दावे कि यही हवा निकल जाती है।

4. राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यापन परिषद का शोध बताता है, कि भारत के 90 फीसदी कालेजों और 70 फीसदी विश्वविद्यालयों का स्तर बहुत कमजोर है।

5. भारतीय शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों की है। कमी का आलाम यह है कि आई आई टी जैसे प्रातिष्ठीत संस्थाओं में ही 15 से 25 फीसदी शिक्षको कि कमी है।

6. भारतीय विश्वविद्यालय औसतन हर 5 से 10 वे वर्ष में अपना पाठ्यक्रम बदलते हैं। लेकिन फिर भी मूल्य उदेश्य को पूरा करने में विफल रहते हैं।

7. आजादी के पहले 50 सालो में सिर्फ 44 निजी संस्थाओं को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। पिछले 24 वर्षों में 126 और निजी विश्वविद्यालयो को मान्यता दी गई।

8. अच्छे शिक्षा संस्थाओं की कमी के वजह से अच्छे कालेजों में प्रवेश पाने के लिए कटऑफ प्रतिशत असामान्य हद तक बढ़ जाता है।

9. अध्ययन बताता है कि सेकेन्डरी स्कूल में अच्छे अंक लाने के दबाव से छात्रों में आत्महात्या करने की प्रवृत्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है।

10. भारतीय छात्र विदेशीय विश्वविद्यालयों में पढने के लिए हर साल 7 अरब डालर यॉनि करीब 43 हजार करोड़ रुपये खर्च करते हैं, क्योंकि भारतीय विश्वविद्यालय में पढाई का स्तर घटिया है। भारत में शोध कि स्थिति 21 साल पहले मानेजमेंट गुरु पीटर ड्रकर ने ऐलान किया था कि आने वाले दिनों में ज्ञान समाज दुनिया के किसी भी समाज से ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक समाज बन जायेगा। दुनिया में गरीब देश शायद समाप्त हो जायें। लेकिन किसी देश कि समृद्धि का स्तर इस बात से आंका जायेगा कि वहां कि शिक्षा का स्तर किस तरह का है।

भारत में शिक्षा क्षेत्र में बड़ी शाखिसयत और ज्ञान आयोग के प्रमुख सैम पित्रौदा ने कहा था। आज कल वैशिकल अर्थव्यवस्था विकाश घन उत्पत्ति और संपन्नता कि संचालक शक्ति सिर्फ शिक्षा को भी कहा जा सकता है।

इंफोसिस के प्रमुख नारायण मुर्ति ध्यान दिलाते है कि अपनी शिक्षा प्राणली कि बदोलत अमरीका ने सेमी कडेक्टर सूचना तकनीकी और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ही इतनी तरक्की की है। इस सब के पीछे वहाँ के विश्वविद्यालयों में किये



गये, शोध का बहुत बड़ा हाथ है।

दुनिया भर में विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हुए शोध में से एक तिहाई अमरीका में होते हैं। इसके ठीक विपरीत भारत में सिर्फ 3 फीसदी शोध पत्र ही प्रकाशित हो पाते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रमुख नंदन नीलेकणी ने कहा था कि भारत को अपने डैमो ग्राफिक लामाश का फायदा उठाना चाहिए।

इस समय भारत कि 65 प्रतिशत आबादी युवा है। अगर इन्हे ज्ञान और हुनर से लैस कर दिया जाए तो ये अपने बूते पर भारत को एक वैश्विक शक्ति बना सकते हैं।

योजना आयोग के सदस्य और पुणे विश्वविद्यालय के पूर्व उप कुलपति नारेन्द्र जाधव ने आज से छः साल पहले कहा था कि मैं इस बात से हैरान हूँ कि कई विश्वविद्यालयों में पिछले 30 सालों से पाठ्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनका कहना है। पुराना पाठ्यक्रम और जमीनी हकीकतों से दूर शिक्षक उच्च शिक्षा को मारने के लिए काफी हैं। जाने माने शिक्षाविद् प्रोफेसर यशपाल ने भी कहा था। कि शिक्षा में निजीकरण कि जरूरत तो है, लेकिन इस पर भी नियंत्रण रखा जाना चाहिए वे कहते हैं। ये ना हो कि पहले शिक्षा के क्षेत्र में निवेश करने वाला संस्था का कुलपति बने और अपने 25 साल के लडके को उसका उपकुलपति बनाये। निजीकरण और गुणवत्ता: कॉर्नेल विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौशिक बसु कहते हैं। “आम धारणा ये है कि अगर कोई लाभ कमाना चाहता है, वो शिक्षा कैसे दे सकता है। ये एक गलत तर्क यह तो उसी तरह सोचने कि तरह हुआ कि अगर टाटा मोटर को लाभ कमाना है। तो इसे छोटी कार बनाने में रुचि नहीं रखनी चाहिए। हॉलाकि वास्तविकता यह है कि अगर उसे लाभ कमाना है, तो उसे छोटी कार बनानी चाहिए इसी तरह शिक्षा में अगर कोई लाभ कमाने वाली कम्पनी विश्वविद्यालय शुरू करना चाहती है तो हमें उसके आडे नहीं आना चाहिए। हर साल भारतीय स्कूल से पास होने छात्रों में महज 15 फीसदी छात्र विश्वविद्यालयों में पढ़ने जाये यह सुनिश्चित करने के लिए पुरे भारत मे 15 सौ नये विश्वविद्यालय खोले जाने कि जरूरत है। इन सब के लिए धन सिर्फ निजी क्षेत्र से आ सकता है। कौशिक बसु कहते हैं “हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि किसी भी सरकार खासकर विकासील देश की सरकार के लिए यह सम्भव नहीं हैं। कि मौजूदा 300 विश्वविद्यालयों को ही ढंग से चला पाएं यह तभी संभव है कि जब वित्तीय माप ढंडों को दरकिनार कर दिया जाये या उच्चतर शिक्षा को घटिया दर्जे का बना दिया जाए” विशेषज्ञों की राय है कि रन ऑफ द मिल यॉनी बने बनाये ढर्रे परं स्नातक पैदा करने की प्रवृत्ति से जितनी जल्दी छुटकारा पाया जाए उतना ही अच्छा हैं। आज कल का सबसे प्रचलित जुमला है। नौकरी से जुड़े हुए कोर्स फैंसला लेने वालों के बीच वोकेशनल शिक्षा एव व्यवसायिक शिक्षा का वो रूतवा अब नहीं रहा। क्योंकि इसके साथ यह बट्टा लगा हुआ है, कि यह पढाई में पीछे रहने वालों की ही पंसन्द है। गुणवत्ता की समस्या: उच्चतर शिक्षा पर खाशा शोध करने वाले पूर्व आई ए एस अफसर पवन अग्रवाल कहते हैं कि अब समय आ गया है कि इस धारणा को बदला जाये कि विश्वविद्यालय शिक्षा का उदेश्य छात्रों को भद्र बनाना हैं। भारत सरकार ने भी इसे शिक्षा मंत्रालय कहना बन्द कर मानव संसाधन मंत्रालय कहना शुरू कर दिया है। बिट्रेन में भी अब इसे शिक्षा और कौशल मंत्रालय कहा जाने लगा है। ऑस्ट्रेलिया में इसे शिक्षा रोजगार व कार्यस्थल सम्मध मंत्रालय कहा जाता है।

एन आई आई टी के सम्पादक राजेन्द्र सिंह पावार कहते हैं, “अब वो जाति व्यवस्था से छुटकारा पाने की जरूरत है, जिसने एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था को जन्म दिया है जहाँ अगर एक इन्सान व्यावसायिक शिक्षा लेने के लिए ट्रेन से उतरता है, तो उसे बाद में उच्च शिक्षा के डिब्बे में सवार होने कि अनुमति नहीं होती” 21 वी सदी कि उच्च शिक्षा को तबतक स्तरीय नहीं बनाया जा सकता है। जब तक भारत स्कूलीय शिक्षा 19 सदी में विचरन कर रही हो। स्कूली शिक्षा कि मूलभूत सुविधाओं में पिछले एक दशक मे जबरदस्त बृद्धि हुई हैं, लेकिन पब्लिक रिपोर्ट आन बेसिक ऐजुकेशन के सदस्य ऐ के शिव कुमार कहते हैं कि अस्ली समस्या गुणवत्ता कि है। समाधान: मनमोहन सिंह ने साल 1991 में जो सुधार भारतीय अर्थव्यवस्था में किये थे। उसी स्तर के सुधारों कि दर काल साल 2020 में भारतीय शिक्षा के क्षेत्र में हैं। अब विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जैसे संस्थाओं से आगे देखने की जरूरत है जिन्हें 60-70 साल पहले स्थापित किया गया था।

सैम पित्रौदा कहते हैं “आज नियम कानूनों और भट्टाचार कि वजह से शिक्षा के क्षेत्र में घुसना लगभग नामुमकिन हो गया है। अगर आप घुस भी जाते हैं और आपको लाइसेंस मिल भी जाता है। तो आप शिक्षा कि गुणवत्ता नहीं बनाये रख सकते जबकि होना इसका ठीक उलटा चाहिए”

एजुकेशन कमीशन आफ इण्डिया एक्ट 2018 के माध्यम से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सभी नियामक यॉनी रेगुलेटीय संस्थाओं को मिलाकर उनके स्थान पर उच्च शिक्षा आयोग का गठन किया गया है। आयोग का मुख्य कार्य उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को सुधारने का होगा, जबकि सभी संस्थाओं को वित्तीय मदद की शक्ति मानव संसाधन विकाश मंत्रालय के पास होगी। यह एक कवायत यू पी ए सरकार द्वारा गठित यश पाल समिति कि रिपोर्ट एवं अनुशंसा के अधार पर आरम्भ कि गई थी। यश पाल समिति कि रिपोर्ट से जाहिर होता है कि संमस्या कही और है और निदान कही और ढूढा जा रहा हैं, लगता है, समिति को ही उच्च शिक्षा के अन्दर की समस्याओं के वास्तविक अध्ययन का समय नहीं मिला और कुछ एलिट अध्यापकों



नें, जो समिति के सदस्य थे। अपनी समझ से समस्याओं को गढ़ लिया और आयोग गठन करने की अनुसंसा कर दी।

वर्तमान सरकार भी पिछली सरकार की गलतियों को आगे बढ़ा रही है। आयोग के गठन से उच्च शिक्षा में गुणवत्ता नहीं आयेगी और यह कदम उच्च शिक्षा के लिए आत्मघाती होगा।

यह समझने की जरूरत है। नये आयोग में जिन कर्मचारियों को नियुक्त होगी क्या वह मंगल ग्रह से आयेंगे? या वही पुराने होंगे, जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में व्याप्त बुराईयों के लिए जिम्मेदार हैं। ऐसे में संस्थाओं को बदल देने से गुणवत्ता बढ़ जायेगी ऐसी सोच अपराधिक है।

सरकार दिखावा कर रही है, कि वह कुछ नया कर रही है। अगर संस्थाओं को चलाने वाले लोग सही मायने में शिक्षित व ईमानदार होंगे, तो गुणवत्ता अपने आप आ जायेगी, अन्यथा कानूनी ढंडे से या फिर नई संस्थाओं के गठन से गुणवत्ता कभी नहीं आयेगी।

कई गैर सरकारी संस्थाओं ने अपने अध्ययन में ऐसा बताया है कि व्यवस्था के अन्दर सिर्फ 20 प्रतिशत लोग ही कार्यकुशल होते हैं और व्यवस्था इन्ही लोगों से आगे बढ़ती रहती है, बाकी 80 प्रतिशत लोग पैरवी पुत्र होते हैं जो सिर्फ नौकरी करते हैं काम नहीं, यह एक बहुत अनुदार आकलन हो सकता है।

यह कटु सत्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में संडाघ फैली हुई है, वहा ऐसे प्रोफेसर शिक्षक बने बैठे हैं, जिन्हें कायदे से प्राइमरी स्कूल में भी नियुक्ति देना अपराध होगा। इनमें बहुत से ऐसे भी होते हैं, जिन्हें राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त होता है। ऐसे में आयोग के माध्यम से गुणवत्ता कि बात करना बेमानी है। एक और समस्या जो शिक्षक और कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं उन्हें हतोत्साहित कर दिया जाता है और उन्हें कई प्रकार के भेदभाव का शिकार होना पड़ता है। उन्हें बेवकूफ करार दे दिया जाता है और उनकी प्रोन्नति भी ठंडे बस्ते में डाल दी जाती है, जो वास्तव में शिक्षक हैं, वे व्यवस्था से उलझना पसन्द नहीं करते। शिक्षा जगत की राजनीति, शक्ति संघर्ष और अन्य ऐसे कार्यों से दूर रहने का प्रयास करते हैं, जिसमें उन्हें उत्तपीडन का शिकार होना पड सकता है।

यें मात्र कुछेक प्रतिनिधि समस्याएं हैं। समस्या के मूल में गलत लोगों का उच्च शिक्षा में प्रवेश व उनका बोलबाला अतः समाधान के तमाम प्रयास इस पर केन्द्रित होने चाहिए, अगर संस्थानों में उचित और शिक्षा एवं शोध में रुचि रखने वाले लोगों को नियुक्ति हो तो शिक्षा का विकाश स्वतः उचित मार्ग पर चल पड़ेगा। सिर्फ करोड़ों और अरबों की बिलिडिंग या ढेर सारे शिक्षक को नियुक्ति कर लेने से कुछ सुधरने वाला नहीं है।

आयोग का गठन भी सरकार कि निराधार और गलत दिशा में किया गया प्रयास साबित होगा। अगर शिक्षक सही हों, तो पेड़ के नीचे भी शिक्षा कि लौ प्रज्वलित हों सकती हैं, वरना उच्च शिक्षा में गुणवत्ता लाने हेतु मंत्रालय एवं रेगुलेटरी संस्थाएं विश्वविद्यालयों और कालेजों से रिपोर्ट मंगवाती रहती हैं और शिक्षण गुणवत्ता के इस पेपर वर्क की बलिबेदी पर शिक्षा शहीद होती रहती है। महान दार्शनिक प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में आदर्श राज्य कि परिकल्पना करते हुए कहा है। कि राज्य सर्वप्रथम एक शिक्षण संस्थान हैं अगर राज्य अपने नागरिकों को उचित और रोजगार परक शिक्षा देने में असमर्थ है तो उस राज्य का विनाश निश्चित है। राज्य का मुख्य कार्य नागरिक निर्माण है वह केवल उचित व गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा से ही संभव है। एक राज्य के नागरिक चरित्रवान एवं कार्यशील हों, तो वहां से अच्छे से अच्छे कानून भी अप्रासंगिक हो जायेंगे, इसके उलट अगर राज्य नागरिक व शिक्षा व्यवस्था ही श्रेष्ठ हो तो सख्त से सख्त कानून भी उस राज्य को श्रेष्ठ नहीं बना सकता। एक शिक्षक कि गलती राष्ट्र के चरित्र में झलकती है। भारत वर्ष इसका उपवाद नहीं है। अतः वर्तमान सरकार को चाहिए कि शिक्षा व्यवस्था के अन्दर संडाघ को दूर करें। ऐसे लोगों को उच्च पदों पर आशीन करें जो इसके पीछे भागते नहीं हो, लॉबिंग नहीं करते हो और पद को खरीदने का जुगाड़ नहीं लगाते हों। अगर उच्च पदों पर सिर्फ ऐसे लोगों को काबिज कर दिया जाये जो सही मायने में शिक्षा कि कद्र करते हों, बुद्धिजीवी हों और साथ में उनकी प्रशासनिक क्षमता भी हों जो जातिवाद, धर्मवाद, लिंग भेद, क्षेत्रवाद या भाई भतीजावाद से ऊपर उठकर शिक्षा के हित में कार्य करते हों तो यकीन मानिए कि भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व की श्रेष्ठतम शिक्षा प्रणाली हो जायेगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. प्राचीन भारत का राजनैतिक एवं सांस्कृतिक इतिहास - के0 सी0 जायसवाल।
2. योजना मासिक पत्रिका - दिसम्बर 2018.
3. उच्च शिक्षा की ढलान- जनसत्ता 1 दिसम्बर 2014.
4. <http://www.bharatiyashiksha.com>
